



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



00/262

फाइल संख्या: ए-45011/24/2026- एचआरएम -III/100

दिनांक: 11 मार्च 2026

कार्यालय आदेश

विषय: मुख्यालय के अंतर्गत यूपीएससी डीआर बैच 2023 के माध्यम से सीधे भर्ती किए गए प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी की परिवीक्षा अवधि के सफल समापन एवं स्थायीकरण की स्वीकृति के संबंध में।

यूपीएससी डीआर बैच 2023 के माध्यम से सीधे भर्ती किए गए प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी की परिवीक्षा के संतोषजनक पूरा होने एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 पद (पूर्व संशोधित 9300- 34800 / - ग्रेड पे 4800 /- रुपए) में प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी के पद पर उनके स्थायीकरण पर विचार करने हेतु, 22.12.2025 को मुख्यालय द्वारा आयोजित विभागीय स्थायीकरण समिति (डीसीसी) की सिफारिश के आधार पर, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय), मा.सं.प्र. द्वारा निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	तैनाती का स्थान	पुष्टि की तिथि
1.	अखिल सिंह	मुख्यालय	27.01.2025
2.	पीयूष	मुख्यालय	27.01.2025
3.	रजत सिंह	मुख्यालय	23.01.2025


2. इसके अलावा, जहां भी स्थायीकरण की तिथि, सेवा में लगने के दो वर्ष बाद है, वहां दो वर्ष से अधिक की अवधि को परिवीक्षा अवधि का विस्तार माना जाएगा।

3. उपर्युक्त सूची वरिष्ठता के क्रम में नहीं है तथा इसे प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी की वरिष्ठता सूची के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

उपर्युक्त प्र.अ./ ले.अ., कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर लागू पेंशन नियमों का पालन करने वाले सरकारी विभागों /राज्य सरकारों में की गई उनकी पिछली सेवा रोजगार की गणना करने तथा जहां नियमों के अंतर्गत लागू हो, वहां ऐसी सेवा रोजगार को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत अर्हक सेवा मानने के लिए, इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर उचित माध्यम से अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय), मानव संसाधन को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन स्वतः पूर्ण होना चाहिए, जिसमें सेवा/ रोजगार की ज़रूरी जानकारी, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी का पता, प्राप्त अंतिम लाभ आदि शामिल होने चाहिए, साथ ही उपर्युक्त नियमों के अनुसार राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया हो।

[अ.के.आ. (मुख्या.) मा.सं.प्र के अनुमोदन से जारी]


(मनीष मणि)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-। (मा.सं.प्र)

सभी संबंधित अधिकारी

[संबंधित प्रभारी क्षे.भवि.नि.आ के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रेषित: (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से)

1. क्षे.भ.नि.आ. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी से अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों की सर्विस बुक में प्रविष्टि करें और इस आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्तिगत फाइल में रखें।
2. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव।
3. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल) ।
4. मुख्यालय में सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त।
5. निदेशक (पीडीनास) - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. वि.सला. एवं मु.ले.अधि. मु.सत.अधि. /मुख्य अभियंतासभी अ.के. आ (मुख्या.) के प्रधान निजी सचिव मुख्यालय के सभी अधिकारी।
7. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / क्षे.भ.नि.आ. (प्र. से प्र.), मुख्यालय।
8. क्षे.भ.नि.आ., एनडीसी, नई दिल्ली।
9. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/ आंचलिक लेखापरीक्षा दल / आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
10. संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत फाइल।
11. एसीआर / जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय / गार्ड फाइल।


(मनीष मणि)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-। (मा.सं.प्र)